

२४/११/१७ पत्रावली पेश हुई। लक्षु बाप पदाकारण/
अभिवक्ता वाली अनुपस्थित। प्रकरण में तीन
बार अलग - अलग समय में आवान
लगावपू गई। जिसके बावजूद वाली कथना
अपके अभिवक्ता अनुपस्थित रहे।

अब: प्रकरण अदम दायरी अदम
पेशी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फेराम सुमार हो।

Manju
उपखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदमपुर

